व्यवहार वाद कमांक 74ए/2022

टीप– दिनांक 29.02.2024 को साक्षी संजय चौधरी का आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के अधीन शपथपत्रीय साक्ष्य कथन प्रस्तुत है। साक्षी को आज दिनांक 16.01.2026 को शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण शेष नहीं होना व्यक्त करने पर प्रति परीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रविशंकर दीक्षित अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी कमांक 2</u>

15– मैं अपने मेरे भाई, पिताजी के साथ वर्ष लगभग 2019 में वाद भूमि में गये थे । मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है कि चौहददी क्या थी परंतु वादभूमि के एक तरफ सरदार जी की जमीन थी और दक्षिण में रोड है । मुझे आज याद नहीं है कि वादभूमि को मेरे पिताजी के द्वारा कब क्रय किया गया था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस न्यायालय में लंबित वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत किया गया था अथवा नहीं ।

16– हम अपने माता पिता की पांच संतान हैं जो क्रमशः श्रीमती मधु टेकरीवाल, राजेश चौधरी, श्रीमती ममता भगत, श्रीमती मनीषा शोभा सरिया और मैं संजय चौधरी हूं। इस वाद में हम लोगों ने बहनों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है । मेरी बहनों को इस बात की जानकारी है कि इस न्यायालय में वाद भूमि के संबंध में वाद लंबित है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने इस प्रकरण में अपने बहनों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है, इस पर साक्षी का कहना है कि हमारी बहनों एवं हम दोनों भाईयों व माता के बीच आपस में यह तय किया गया था कि वादभूमि भाई व माता के नाम पर दर्ज कराया जाएगा । यह कहना सही है कि इस बात की हमारे एवं हमारे बहनों तथा माता के मध्य

आपस में जो तय हुआ था उसके संबंध में लिखित में तय नहीं किया गया था । साक्षी का स्वतः कथन है कि मौखिक रूप से तय किया गया था ।

17– साक्षी से पूछा गया कि आप प्रस्तुत वाद को क्यों और किस उददेश्य से पेश किये हैं इस पर साक्षी का कहना है कि फर्जी विक्रयपत्र निष्पादित हुआ है उसी के संबंध में वाद प्रस्तुत किये हैं । यह कहना सही है कि किसी भी फर्जी कार्यवाही के संबंध में शिकायत, संबंधित थाने में होती है । मेरे द्वारा कोई शिकायत थाने में नहीं की गई थी । साक्षी का स्वतः कथन है कि मेरी मां एवं भाई रजत चौधरी के द्वारा थाने में शिकायत की गई थी । यह कहना सही है कि आज मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे भाई एवं मां के द्वारा किस आशय का शिकायत किस उददेश्य से किया गया था । मेरी मां एवं भाई की शिकायत पर कुछ लोगों की गिरफतारी थाना तेलीबांधा के द्वारा की गई थी । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी मां एवं भाई के द्वारा प्रस्तुत शिकायत का परिणाम क्या हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि थाना तेलीबांधा द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर गिरफतार व्यक्तियों के विरूद्व जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था ।

18– जिस समय वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया था वह कृषि भूमि थी । उक्त भूमि पर कौन सी फसल की पैदावार होती थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है । साक्षी से पूछा गया कि हुबलाल नामक व्यक्ति को जानते हो जिस पर साक्षी का कहना है कि प्रकरण के संबंध में होने के कारण नाम से जानता हूं । साक्षी से पूछा गया कि हुबलाल व्यक्ति का इस प्रकरण से क्या संबंध है, जिस पर साक्षी का कहना है कि उक्त व्यक्ति के

द्वारा ही फर्जी पॉवर ऑफ एटार्नी निष्पादित किया गया था । हुबलाल की गिरफतारी उक्त शिकायत पर नहीं हुई थी । यह कहना गलत है कि हुबलाल उपरोक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी था । यह कहना सही है कि हुबलाल के द्वारा फर्जीवाडा किया गया था । साक्षी का स्वतः कथन है कि गिरफतार व्यक्तियों सहित सभी के द्वारा फर्जीवाडा किया गया था ।

19– मैं अंतिम बार वादभूमि पर वर्ष 2025 में गया था । वर्ष 2025 में मेरे साथ मेरे बडे भाई राजेश कुमार चौधरी भी गये थे । मैं वर्ष 2019 में वादग्रस्त भूमि पर गया था तब वादभूमि पर मेरे पिताजी का नेम प्लेट एवं मोबाईल नंबर लिखा हुआ था तथा वर्ष 2025 में गया था तब उक्त नेमप्लेट गिरा हुआ था । वादभूमि पर मेरे पिताजी के द्वारा ही अपना नाम एवं मोबाईल नंबर का बोर्ड लगाया गया था । हुबलाल के द्वारा तथाकथित फर्जी मुख्तयारनामा निष्पादित किया गया था उस समय मेरे पिताजी जीवित नहीं थे । साक्षी से पूछा गया कि आपके पिताजी की मृत्यु के कितने दिन बाद फर्जीवाडा कर वादभूमि का विक्रयपत्र निष्पादित किया गया जिस पर साक्षी का कहना कि मेरे पिताजी के मृत्यु के लगभग 6–7 महीने पश्चात उपरोक्त फर्जी विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया था ।

20– यह कहना गलत है कि वादभूमि के संबंध में विक्रयपत्र की कोई फर्जी वाडा नहीं किया गया था । यह कहना गलत है कि इसी कारण से गिरफतार व्यक्ति दोषमुक्त हो गये थे । मुझे आज याद नहीं है कि मैने जो हुबलाल के द्वारा मुख्तयारनामा निष्पादित करना बताया हूं वह कब और किस तरह से कहां तैयार किया गया था । उपरोक्त वादभूमि के संबंध में विक्रयपत्र किसी दीक्षित नामक महिला के पक्ष में निष्पादित किया गया था । मेरे पिताजी की मृत्यु पश्चात उक्त संपत्ति का देखरेख मेरे बडे भाई राजेश कुमार चौधरी

द्वारा किया जाता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वादभूमि से संबंधित लगान टेक्स का भुगतान, वहन मेरे भाई के द्वारा किया जाता है । यह कहना सही है कि वादभूमि के अतिरिक्त मेरे पिता के नाम से अन्य कोई संपत्ति छ०ग० में नहीं है ।

21– यह कहना गलत है कि वादभूमि का कोई अस्तित्व नहीं है । यह कहना गलत है कि वादभूमि, वाद में दर्शित स्थान से अन्यत्र स्थित है ।

प्रतिवादी क्रमांक 1,3,4 एकपक्षीय ।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार गया।

सही/–
(डमरूधर चौहान)
षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निदेश पर टंकित किया गया।

सही/–
(डमरूधर चौहान)
षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर .....